डीजी परिपत्र सं0- 15 /2025

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ- 226002

दिनांक: अप्रैल 21 ,2025

विषय: महिला पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण एवं मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त जनपद / इकाई द्वारा कार्यालयों, पुलिस लाइन एवं थानों पर नारी विश्राम गृह एवं बाल शिशु गृह(Creche) का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदया / महोदय,

आप सभी अवगत है कि मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी की महिला सुरक्षा के प्रति प्राथमिकता के दृष्टिगत विगत वर्षो में उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है। साथ ही मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 जी के निर्देश पर नारी सशक्तिकरण हेतु प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारियों की अग्रणी भूमिका है। विदित है कि महिला पुलिस कर्मियों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है उन्हें नौकरी के साथ-साथ पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में जिन महिला कर्मियों के छोटे बच्चे हैं तथा घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए अलग विश्राम कक्ष और बच्चों के लिए क्रेच जैसी सुविधाएं कार्यस्थल पर न केवल उनको सुविधा देती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक संतुलन और आत्मबल भी प्रदान करती हैं। इस प्रकार की सुविधायें महिला कर्मियों को और अधिक समर्पण और मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे वो और प्रभावी ढंग से पुलिस विभाग को अपना योगदान दे सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14-07-2022 को जारी **"मिशन शक्ति योजना"** के सम्बन्ध में जारी आदेश के बिन्दु संख्या- 2.2.5 में **पालना योजना** के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के बच्चों को क्रेच की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त के दृष्टिगत महिला पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण एवं मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से वामा सारथी द्वारा पुलिस मुख्यालय में निर्मित शिशु वाटिका एवं नारी विश्राम गृह का आज ही उद्घाटन कराया गया है।

जब हमारी महिला पुलिसकर्मी सशक्त होगी, तब हमारी पुलिस व्यवस्था और भी अधिक प्रभावी और मानवीय बनेगी। अतः समस्त जनपद / इकाई / कार्यालय प्रभारी अपने कार्यालय, पुलिस लाइन एवं थानों पर समस्त सुविधाओं से युक्त बाल शिशु गृह (Creche) एवं नारी विश्राम गृह के लिए जगह चिन्हित कर उनके निर्माण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कराते हुए 07 दिवस के अंदर उक्त संबंध में प्रगति से मय फोटोग्राफ के अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

21.5.25

(प्रशान्त कुमार)

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष /
पुलिस विभाग ,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>